

मंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह क्री 116वीं जयंती समाजवादी व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव ने कहा कि चौ. चरण ने नीति गरीब और किसानों को ऊपर उठाने की थी। चरण सिंह किए देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा किसानों की कराने का सार्थक प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह ने किसान को व सर्वोपरि रखा और किसान की प्रगति में अहम योगदान दिया। वे जुड़े क्रांतिकारी नेता थे। जिन्होंने आजादी से पहले भारत को में भारत से गरीबी मिटाने के लिए संघर्ष किया। वहीं प्रगतिशील अलफा के सामुदायिक केंद्र में चौधरी चरण सिंह की जयंती को ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उनकी नों का भला हो सकता था। इस मौके पर प्रवीन भाटी, सुनील हू थे।

## न का अवैध भंडारण बोरी चावल मिला

री राशन मिलकर छापेमारी की गई। जहां आरोपी प्रशासन दिग्विजय शर्मा के घर में मिनी ट्रक से सरकारी एमडीएम राशन के चावल की बोरी उतारी जा रही थी। राशन का आरोपी के घर व गाड़ी से 50 बोरी चावल मिला। के घर पृष्ठदाख में आरोपी ने बताया कि चावल की बोरी का 50 सरकारी गल्ले के गोदाम से खरीदी है। इसके गोदाम में वाद अधिकारियों ने सरकारी गोदाम पर छापेमारी

चून व्यापारी के घर कारा राशन की बोरी बरामद उतारी जा रही थी हुई। गोदाम में हरियाणा मार्का वल की बोरियां बोरी कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि छह माह पहले भी जेवर के सरकारी राशन गोदाम में गया कि अनियमितता पाई गई थी। एक व्यापारी के यहां से साबौता सरकारी राशन चावल व गेहूं की बोरी बरामद हुई थी। एमडीएम ने बताया कि दुकान दिग्विजय शर्मा व गोदाम इस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी साथ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## गों ने नोटा दबाकर हराया : राजभर

भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के कैबिनेट क्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। गरीब छात्रों से, ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि आगामी 10 और बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हराया। राजभर रविवार को दादरी क्षेत्र के जीटी रोड स्थित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। से भाजपा के हाथ से तीन राज्य गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ल से सामान्य और पिछड़ा वर्ग के बेकसूर लोगों को जेल से भुगतना पड़ेगा। सुप्रीमकोर्ट ने भी जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच का नियम लागू किया है। इससे परेशान दबाकर भाजपा को हराया। आरक्षण जातिगत पर न होकर न कचड़ा गांव के किसानों ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके महासचिव सुशील नागर, जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, संतेंद्र संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

फॉर्म-जी अभिलेख की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण [दिवाला और शोधन अकमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 369(1) के अधीन] मैसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड, के नावी समाधान आवेदकों/अवेदकों के ध्यानार्थ हेतु संबंधित विवरण	
1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	मैसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड
2. कॉरपोरेट देनदार के भिगमन की तिथि	06-01-1995
3. उस अधिचरिणी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार नियमित / पंजीकृत है	कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत
4. कॉरपोरेट देनदार की कॉरपोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74899DL1995PLC064140
5. कॉरपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 4119/7, प्रथम तल, नया बाजार नई दिल्ली, डीएस 110006 आईएन कॉरपोरेट कार्यालय: गेट #2, 40 किमी. स्टोन, जी.टी. करनाल रोड, बहालगाड़, जिला सोनीपत-131021, हरियाणा (भारत) कार्य और प्रोसेसिंग यूनिट: 1, गेट नं#1, 40 किमी. स्टोन, जी.टी. करनाल रोड, बहालगाड़, जिला सोनीपत-131021, हरियाणा (भारत) (II) 26 केएम स्टोन, ग्राम धरजलवाडी, टांगख, ठाकरील बाबा बकाला, अमृतसर-जालौर, जी.टी. रोड, जिला अमृतसर-143009, पंजाब (भारत)
6. कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	20.07.2018 (दिनांक 23.07.2018 को आदेश प्राप्त)
7. अभिलेख की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	24-12-2018
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	समाधान आवेदकों (एकल, संयुक्त रूप से अथवा संघ रूप में) के लिए समाधान योजना के साथ समाधान प्रोफेशनल (आरपी) के पास पहुंचने हेतु न्यूनतम प्राइमरी मानक है :- • गिकाय कॉरपोरेट तथा अन्य व्यक्तियों के लिए : भारतीय रूप 25 करोड़ का न्यूनतम शुद्ध पूंज्य, वैश्ववैजी संख्या द्वारा समर्थित। • फंडस/पीई निवेशकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए : 31-03-2018 को प्रकृत अथवा अभिनियमित फंडरा अथवा बचतबंद फंडरा के तहत निवेश हेतु भारतीय रूप 500 करोड़ की न्यूनतम आधिगत। पूर्ण विवरण भेजसाइट <a href="http://www.arck.in">www.arck.in</a> पर उपलब्ध है अथवा <a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a> से ई-मेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	वेबसाइट पर उपलब्ध :- <a href="http://www.arck.in">www.arck.in</a> - कॉरपोरेट देनदार :- <a href="http://www.sunstaroverseas.com">www.sunstaroverseas.com</a> - आरपीआईआई :- <a href="http://www.ibbi.gov.in">www.ibbi.gov.in</a> अथवा <a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a> से ई-मेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
10. अभिलेख के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	11-01-2019
11. संभावी समाधान आवेदकों के अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	18-01-2019
12. अंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	23-01-2019
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	31-01-2019
14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवैल्यूएशन मेट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि	23-01-2019
15. समाधान योजना, इवैल्यूएशन मेट्रिक्स सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका	अंतिम सूची में सम्मिलित सभी संभावित समाधान आवेदकों (पीआरए) तथा उन पीआरएज, जिनके द्वारा अंतिम सूची में उनको सम्मिलित नहीं किए जाने का प्रतिवाद किया है, को समाधान योजना हेतु अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मेट्रिक्स तथा सूचना ज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक विधि से उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी <a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a> पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
16. समाधान को जमा करने की अंतिम तिथि	25-02-2019
17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका	<a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a> पर ई-मेल द्वारा, सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा दस्ता।
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्गमन अधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमोदित तिथि	25-03-2019
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम: ज्ञान चंद नारंग पंजीकरण नं.: IBBI/PA-002/IP-N00362/2017-18/11031
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नाम: ज्ञान चंद नारंग पता: फ्लैट नं. 214, ब्लॉक-बी2, वरुण अपार्टमेंट, सैक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेल: <a href="mailto:narangc58@gmail.com">narangc58@gmail.com</a>
21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	पता: एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल एलएनजी, 409, चतुर्थ तल, अरसल भवन, 16 नं. जी मार्ग, नॉर्थ प्लस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: <a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a>
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है:	वेबसाइट :- <a href="http://www.arck.in">www.arck.in</a> कॉरपोरेट देनदार :- <a href="http://www.sunstaroverseas.com">www.sunstaroverseas.com</a> या <a href="mailto:insolvency@arck.in">insolvency@arck.in</a> पर ई-मेल द्वारा भांगा जा सकता है।
23. फॉर्म-जी के प्रकाशन की तिथि	24-12-2018

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 24.12.2018

ज्ञान चंद नारंग  
पंजीकृत नं. IBBI/PA-002/IP-N00362/2017-18/11031  
पंजीकृत पता : फ्लैट नं. 214, ब्लॉक-बी2, वरुण अपार्टमेंट,  
सैक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085  
वास्तव मैसर्स सनस्टार ओवरसीज लि.